संख्या-22/988/74-14-25(ब)/2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 07 अगस्त, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-277/सेरी0/आयोजनागत/बजट मांग/2014-15, दिनांक 17 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना" में प्रावधानित धनराशि रू0 13084 हजार (रूपये एक करोड़ तीस लाख चौरासी हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-14/532/74-14-25(ब)/2013, दिनांक 08 मई, 2014 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी धनराशि रू0 4360 हजार (रूपए तैंतालीस लाख साठ हजार मात्र) को घटाते हुए निम्न विवरण के अनुसार अवशेष रू0 8724 हजार (रूपए सत्तासी लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रावधानित धनराशि	प्रथम चार माह (अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2014) हेतु अवमुक्त की जा चुकी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 के अवशेष 08 माह हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
02	मजदूरी	2500	833	1667
08	कार्यालय व्यय	150	50	100
09	विद्युत देय	1944	648	1296
29	अनुरक्षण	1000	333	667
42	अन्य व्यय	200	66	134
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	7290	2430	4860
	योग	**13084**	**4360**	**8724**

(रूपये सत्तासी लाख चौबीस हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2015 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण -पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यो हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार के विचलन /दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम स्वंय जिम्मेदार/उत्तरदायी होगें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-11-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 सपठित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारियों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षक), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।

(8) नियोजन अनुभाग-4

(9) गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in